



बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

कमला नहर प्रमंडल, जयनगर

E-Mail ID - kcdwrdayanagar@gmail.com, Mob-7463889764

**भाडे पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)- 12/2025-26**

पत्रांक ..... /

जयनगर

दिनांक..... / ..... / 2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यपालक अभियन्ता, कमला नहर प्रमंडल, जयनगर अन्तर्गत इस कार्यालय अंतर्गत पदस्थापित अवर प्रमंडल पदाधिकारी, एवं कार्यपालक अभियन्ता के उपयोग हेतु भाडे पर 04 अदद वाहन स्कार्पियो/ बोलरो (तीन अदद वाहन माह अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक एवं एक अदद वाहन 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक) चालक सहित वित्तीय वर्ष-2026-27 के लिए आवश्यकता है। आपूर्ति/सेवा हेतु आपूर्ति कर्ताओं/संवेदको/सेवा प्रदाताओं से निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

- कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि :- दिनांक:-30-03-2026
- कोटेशन जमा करने की तिथि :- दिनांक:-10.04.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
- कोटेशन जमा करने का स्थान :- कार्यपालक अभियन्ता, कमला नहर प्रमंडल, जयनगर
- कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक:-10.04.2026 को 03:30 बजे अपराह्न तक।
- विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियन्ता, कमला नहर प्रमंडल, जयनगर

**नियम एवं शर्तें निम्नवत् है:-**

1. वाहन आवश्यकता अनुसार (SOP के अनुरूप) वित्तीय वर्ष 2026-27 तक भाडे पर रखने के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा किसी निजी कार्य या व्यवसायिक कार्य में नहीं किया जायेगा।
2. वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तैलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म के द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स, पैन कार्ड, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज मोटरयान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिमाह ईंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबाब देही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन का किराया मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय, मधुबनी जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या आपके द्वारा उद्धृत दर में से न्यूनतम दर स्वीकार होगा तथा भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा।
11. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन दाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोष जनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना नोटिस के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। एकरारनामा 1000 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
12. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
13. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाडे का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
14. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
15. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं वहां रह भी सकता है उक्त किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता उक्त क्रमांक 01 से 15 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक 10.04.2026 तक कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 3:00 बजे अपराह्न तक समर्पित करेंगे, जिसे दिनांक 10.04.2026 के 3:30 बजे अपराह्न कार्यपालक अभियंता, कमला नहर प्रमंडल, जयनगर के कार्यालय में खोला जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एवं एक से ज्यादा समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जायेगा, जिसकी सूचना (लॉटरी की तिथि) आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये Whatsapp Number/Email के माध्यम से दी जाएगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेगे अन्यथा उनकी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 के कागजात एवं शपथपत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जायेगा। विशेष जानकारी कार्यालय में संपर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।

17. कोटेशनदाताओं को वित्तीय दर निम्न प्रपत्र में देना होगा।

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	ईंधन सहित मासिक भाड़ा का दर (सभी करो यथा जी०एस०टी०,आई०टी० सहित)

पांक 357 /

जयनगर

तेलिपि:- सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना एवं आई० टी० सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

50  
(ई० अमोद कुमार)  
कार्यपालक अभियंता  
कमला नहर प्रमंडल, जयनगर  
दिनांक 30/03/2026

30/3/26  
(ई० अमोद कुमार)  
कार्यपालक अभियंता  
कमला नहर प्रमंडल, जयनगर  
23/3  
30/03/2026